पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0) ... राज0

मुकदमा नम्बर
18 / 2020

तारीख दायर
09-10-2020

तारीख फैसला
22/04/2022

बउनवान :-

01. सरजीतसिंह
02. धनीराम
03. जगदीश पुत्रान श्री टुण्डल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम नबीनगर थाना शेखपुर अहीर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज)

---:: प्रार्थीगण

ब ना म

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. अमीलाल
03. जगराम
04. रामजीलाल पुत्रान नत्थू
05. मयाराम
06. भजनलाल
07. जसवन्त पुत्रान अमीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम नबीनगर थाना शेखपुर अहीर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

---:: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: निर्णय ::-

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी मिन प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थीगण का वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा की बाबत दिनांक 29.06.2019 को तहसीलदार तिजारा के आदेशानुसार हल्का पटवारी व कानूनगों ने मौके पर आकर आराजी की सहखातेदारान की सहमति तथा अप्रार्थी मायराम की सहमति व उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान व पैमाईश की गई व निशानात लगाये गये। जिस मौका पर्चा पर हल्का पटवारी व कानूनगों ने अपने हस्ताक्षर का मौका रिपोर्ट तहसीलदार तिजारा के समक्ष पेश की है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 लडाका मुठमर्द किस्म के आदमी है, जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करते है, जो जबरन उक्त आराजी में घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करते है

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 गैरकाबिज, गैरकास्त आराजी है। इसलिए न्यायहित में उक्त आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिए मिन प्रार्थीगण को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (लैण्ड रेवेन्यु एक्ट) पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2019 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहे है अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा एक फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नही है। अप्रार्थी अधिवक्ता 2 लगायत 7 उपस्थित जरिये वकील है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा जवाब पेश नही किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 29.06.2019 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०